न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 60 / 2017

दीवानसिंह पुत्र घीसी जाति जाट निवासी ग्रांम गांगरौली तहसील नदबई, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–मौहरा बेवा बाबूसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर
2–शुभम आयु 6 साम नाबालिग व विलायत माता मौहरा बेवा बाबूसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई
3–हिम्मतसिंह पुत्र बदनसिंह
4–मधु बेबा साहबसिंह
5–बॉवी पुत्र साहबसिंह
6–कुलदीप पुत्र साहबसिंह
7–गजना बेवा बदनसिंह
8–मटोली पुत्र मेवाराम
9–रन्धीर पुत्र मेवाराम
10–शकुन्तला बेवा दयाचन्द
11–नन्दलाल पुत्र दयाचन्द
12–बिरजू पुत्र दयाचन्द
13–रैनी पुत्र दयाचन्द
14–सीमा पुत्री दयाचन्द

जातियान जाट निवासीयान ग्रांम गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम वमुकदमा विरुद्व उपखण्ड अधिकारी नदबई दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट उनवानी मौहरा बनाम बदनसिंह

————————

उपस्थितः–
1–श्री दिलीपसिह अभिभाषक प्रार्थी
2–अप्रार्थी अनु0

निर्णय दिनांक 17.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी एक दावा

.....2

बटवारे का उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। हल्का पटवारी ने बिना प्रार्थी की सहमति के कुरे बनाकर एस.डी.एम. के समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं। जिसमें पक्षकारान के हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये हैं। प्रार्थी ने पुनः कुरेजात रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु एस.डी.एम. नदबई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें बहस हो चुकी है। एस.डी.एम. साहब का रवैया मनमाना है। अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान आपस में साज किये हुये हैं। दिनांक 27.7.2017 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को निकलते हुये देखा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने स्पष्ट रुप से कह दिया है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, हमारी बात एस.डी.ओ. साहब से हो गई हैं। प्रार्थी को एस.डी.ओ.नदबई से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एस.डी.ओ.नदबई के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। एस.डी.ओ.नदबई से टिप्पणी तलब की गई । एस.डी.ओ.नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अंकित कथनों के सिवाय अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। एस.डी.ओ.नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ.नदबई ने अंकित किया है कि प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में मनगढन्त झूठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र देरीना करने की बजह से पेश किया गया है। अगर प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इससे स्पष्ट है प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति एस.डी.ओ.नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर